अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आदेशांक–वा0क0अधि0/पू0पी0ग0)/ ——/19, लखनऊ :: दिनांक : 09 : जुलाई–2019,

–:: आदेश ::–

सदस्य,वाणिज्य कर अधिकरण पीठ–4,कानपुर के पत्रांक–397/19 दिनांक 20.06.19 पर सम्यक विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश वैट नियमावली–2008 के नियम 64 (3) में निहित शक्तियों के अधीन सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ–4, कानपुर में पूर्ण पीठ से सम्बन्धित लम्बित द्वितीय अपील सख्या–241/01 वर्ष 90–91 सर्वश्री केमिको केमिकल्स, 132/212,टी0पी0नगर, कानपुर की सुनवाई/निस्तारण हेतु दिनांक 10.07.19 के लिए श्री बृजेन्द्र मणि त्रिपाठी, एच0जे0एस0, न्यायिक सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ–झॉसी, श्री राजेश कुमार जैन, सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ–2, लखनऊ तथा श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी, सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ–4, कानपुर को सम्मिलित करते हुए **कानपुर में पूर्ण पीठ** गठित की गयी थी।

अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री दुर्गा प्रसाद की ओर से पीठ–4 कानपुर कार्यालय में दिनांक 08.07.19 को एक तिथि स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे सदस्य पीठ–4,कानपुर द्वारा पत्रांक–453/19 दिनांक 08.07.19(फैक्स के माध्यम से) मुख्यालय प्रेषित किया गया है, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि उक्त वाद में बहस हेतु नियुक्त वरिष्ठ अधिवक्ता श्री नरेन्द्र शर्मा अस्वस्थ हैं तथा यात्रा करने एवं पैदल चल पाने में अभी असमर्थ हैं। उक्त आधार पर वाद मे वाद में अन्य तिथि नियत करने का निवेदन किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में विद्यमान परिस्थतियों पर सम्यक विचारोपरान्त कानपुर में दिनांक 10.07.19 को गठित पूर्ण पीठ निरस्त की जाती है।

चूँकि वाद काफी पुराना है, अतः वाद की सुनवाई कराने की स्थिति होने पर पीठासीन अधिकारी उसकी सूचना तत्काल मुख्यालय भेजें ताकि यथोचित निर्णय लिया जा सके।

तद्नुसार सम्बन्धित अधिकारी/पीठ कार्यालय को सूचित किया जाये।

ह0–09.07.19
(प्रेम कला सिंह)
एच0जे0एस0,
अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन – वा0क0अधि0/पू0पी0ग0/ 1154 /2019, तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ–झॉसी।
2–सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ चतुर्थ, कानपुर।
3–सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ–2, लखनऊ।
4–कमिश्नर, वाणिज्यकर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5–मुन्सरिम/वरिष्ठ सहायक (यात्रा भत्ता/विवरण/कम्प्यूटर/) मुख्यालय।
6–सम्बन्धित राज्य प्रतिनिधि/अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव द्वारा पीठासीन अधिकारी ।
7–अपीलकर्ता।

माननीय अध्यक्ष महोदया की आज्ञा से,

निबन्धक,
वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।